

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 8(3)एमई/ग्रुप-1/2018 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 06 MAY 2022


आदेश

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(3)कार्मिक/क-2/78 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ख में किये गये संशोधन के बिन्दु संख्या 3 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों द्वारा एक बारगी विकल्प (One Time Option) प्रस्तुत किये जाने पर इनको उनकी मूल विशिष्टता से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्पेशलिटी विशिष्टता में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से विस्थापित (Shift) किया जाता है:-

क्र. स.	नाम चिकित्सक शिक्षक मय विशिष्टता	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पद व स्पेशलिटी विशिष्टता जिसमें विस्थापित किया जाता है	विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि
1	डॉ. पी. एस. लाम्बा, वरिष्ठ आचार्य, निश्चेतन	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य, इमरजेंसी मेडिसिन	22.02.2022
2	डॉ. बी.पी. मीणा, वरिष्ठ आचार्य, बायोकेमिस्ट्री	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य, इमरजेंसी मेडिसिन	14.02.2022
3	डॉ. सतीश चन्द मीणा, सह आचार्य, निश्चेतन	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सह आचार्य, इमरजेंसी मेडिसिन	22.02.2022

उक्त चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही विस्थापित स्पेशलिटी में तत्काल कार्यग्रहण करेंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,  
  
(इकबल खान)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव